कार्यालय मुख्य सचिव
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:मु.स.का./जयपुर/2020/SPL-1 जयपुर, दिनांक 23.03.2020

आज्ञा

कोरोना वायरस (Covid-19) से निपटने के लिए सम्पूर्ण राज्य में लॉक–डाउन घोषित किया गया है। इससे उत्पन्न विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए, सचिवों का CORE GROUP निम्नानुसार गठित किया जाता है :–

1.	श्री राजीव स्वरूप, अति.मुख्य सचिव गृह एवं परिवहन	अध्यक्ष
2.	श्री राजेश्वर सिंह, अति.मुख्य सचिव, ग्रा.विकास एवं पंचायत राज	सदस्य
3.	श्री अखिल अरोड़ा, प्र.शासन सचिव, सामाजिक न्याय	सदस्य
4.	श्री भवानी सिंह देथा, सचिव, एल.एस.जी.	सदस्य
5.	श्री सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव, खाद्य एवं आपदा प्रबन्धन	सदस्य
6.	श्री नीरज के. पवन, शासन सचिव, श्रम	सदस्य
7.	जिस विभाग से सम्बन्धित निर्णय लिया जाना है, उस विभाग के अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव	सदस्य

उक्त सदस्य Core Group की बैठक में व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं किसी **अन्य अधिकारी को मनोनीत नहीं करेंगे।**

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त/अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आवश्यकतानुसार Core Group की बैठक में उपस्थित होंगे।

यह कोर–ग्रुप कोरोना वायरस की वजह से शट–डाउन एवं अन्य पाबंदियों के कारण आम जनता विशेषकर निर्धन एवं वंचित वर्ग से सम्बन्धित बिंदुओं जैसे राशन की दुकानों पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, नररेगा श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल में पंजीकृत श्रमिक, असंगठित समूह जैसे थड़ी–ठेला लगाने वाले, वृद्ध, दिव्यांग एवं विधवा वर्ग की पेंशन आदि जैसे मामलों पर अपनी अभिशंसा देगा, जिससे उन्हें तुरन्त लागू किया जा सके।

Core Group के अध्यक्ष नियमित बैठकें लेकर उन बिंदुओं से सम्बन्धित निर्णयों को यथोचित स्तर पर अनुमोदित कराकर उन्हें जारी करायेंगे। समस्त अति. मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं जिला कलक्टर्स को इस Core Group की सूचना दी जायेगी,

ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे कोरोना वायरस से सम्बन्धित अपने विभाग के बिंदुओं को Core Group के समक्ष रख सकें।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जायेगी।

(देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/विशिष्ट शासन सचिव।
7. समस्त जिला कलेक्ट्रेट/SPs/रेंज IGs/DIGs
8. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण।
10. निजी पत्रावली/लेखा पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव
24/03/2020.